

## प्रेस नोट दिनांक-06.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 40 क्वार्टर देशी शराब एवं 5 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की।

(1). उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामबाबू पुत्र रामप्रताप निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(2). वरि0उ0नि0 श्री गोपालचंद कनौजिया थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्ता कमला देवी पत्नी सुमन निषाद निवासी मटियारा थाना मऊ को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशील चंद्र शर्मा द्वारा आम जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त करने वाले अभियुक्त 1. भैरव पटेल पुत्र राधेश्याम 2. विमल पांडे पुत्र ओंकार नाथ पांडे निवासीगण कस्बा व थाना रैपुरा के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पुलिस लाइन में डायल 112 दोपहिया में नियुक्त कर्मचारियों को पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी गयी। इस ट्रेनिंग में समस्त कर्मचारियों को अरमोर एवं आरटीसी मेजर एचसीपी आफाक द्वारा पिस्टल को खोलना जोड़ना, पिस्टल की साफ सफाई करना तथा पिस्टल चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया तथा इसके सभी पुर्जों के संबंध में जानकारी दी गयी। समस्त कर्मचारियों की परीक्षणोंपरांत परीक्षा ली गई। पुलिस मुख्यालय से दोपहिया वाहन में नियुक्त कर्मचारियों को पिस्टल देने के निर्देश दिए गए थे, इसी निर्देश के क्रम में जनपद चित्रकूट की दोपहिया पीआरबी वाहनों में नियुक्त समस्त कर्मचारियों को पिस्टल की हैंडलिंग की करायी गयी।

इस ट्रेनिंग के दौरान प्रतिस्तर निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रभारी डायल 112 श्री आर.के. सिंह, प्रभारी दोपहिया वाहन श्री राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

(4). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरबी 4421 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 06/06/2021 को समय 00:09 बजे इवेंट संख्या 0129 द्वारावव घटनास्थल भौरी थाना रैपुरा से कॉलर सोनू ( मोबाइल नंबर 7408379042 ने बताया कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। इस सूचना पर पीआरबी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरबी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि हम अपनी चचेरी बहन के साथ गोहनी कला गांव से शादी समारोह से वापस शोभा सिंह का पुरवा कर्वी ps कोतवाली कर्वी जा रहे थे तभी भौरी के पास हमारी मोटरसाइकिल पैशन प्रो up96h 1455 का पेट्रोल खत्म हो गया था। पीआरबी कर्मियों द्वारा तत्काल पेट्रोल पम्प जा कर कॉलर को पेट्रोल ला कर दिया गया और कॉलर को सकुशल उसके घर भेजा गया। कॉलर सोनू ने पीआरबी कर्मियों और up 112 की भूरी भूरी प्रसंसा व सराहना की।

पीआरबी स्टाफ

कमांडर - c मयंक कुमार

पायलट - hg ओमप्रकाश

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपाधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि श्री धनन्जय राय तथा उनके हमराहियों द्वारा मु0अ0सं0 68/21 धारा 379/411 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त 1. नीरज पुत्र रामकरन अनुरागी 2.

ललित पुत्र रामचंद्र अनुरागी निवासीगण खपटिहा थाना भरतकूपजनपद चित्रकूट 3. संतोष पुत्र प्रहलाद नामदेव निवासी कृष्णा नगर थाना नरैनी जनपद बांदा को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो अदद सौर ऊर्जा पैनल /प्लेट बरामद किया गया।

### **बरामदगी**

दो अदद सौर ऊर्जा पैनल /प्लेट

### **बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
2. आरक्षी दीपक कुमार श्रीवास्तव
3. आरक्षी वकील कुमार सेन

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 06.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा रेलवे स्टेशन में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, शिवनगर, आर्यनगर, डोटपुल आदि स्थानों पर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, धुस मैदान,सब्जी मण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम देवरा में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।